

# विधान सभा सचिवालय

## उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 206/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017

लखनऊ, दिनांक 18 फरवरी, 2019

### अधिसूचना

प्रकीर्ण

सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा का वर्ष 2019 का प्रथम सत्र, जो उसके दिनांक 05 फरवरी, 2019 के उपवेशन से प्रारम्भ हुआ था, दिनांक 18 फरवरी, 2019 के उपवेशन की समाप्ति पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।

आज्ञा से,  
**प्रदीप कुमार दुबे,**  
प्रमुख सचिव,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 206(1)/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 3-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 4-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 5-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 6-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 8-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 9-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 10-समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,

- 11-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 12-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 13-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,
- 14-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेंस ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 15-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 16-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 17-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 18-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 19-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 20-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 21-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 22-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 23-ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ,
- 24-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 25-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 26-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 27-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 28-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 29-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 30-विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 31-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

अशोक कुमार,  
संयुक्त सचिव।